

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉची/हजारीबाग/मेदिनीनगर, संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता सह संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉची।

रॉची, दिनांक २१-३-१३

विषय :- वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के मांग संख्या- ४९ जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-२७०१- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-०३-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-००१ निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-०६-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष २७०१- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या ४९ जल संसाधन विभाग/ २७०१-मध्यम सिंचाई	०३ मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	००१-निदेशन तथा प्रशासन/ ०६-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	-74.980

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि -ऋणात्मक

रुपये चौहत्तर लाख अंठानबे हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध ₹ ५६३१.१५ लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक ११/बी० टी० ई०- ०४/२०१२/३१०/बजट दिनांक १७.०९.१२) से प्राप्त राशि ₹ ३६.४५ लाख सहित कुल ₹ ५६६७.६० लाख (छप्पन करोड़ सङ्क्षण लाख साठ हजार) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि。(२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक १५.११.२००० के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

9/CC(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.G(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)SS(एस०के०सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)MS(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव
MS

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

८१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

२३६

रॉची, दिनांक :- २१-३-१३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/जमशेदपुर/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

८१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

२३६

रॉची, दिनांक :- २१-३-१३

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

८१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहा. अभि.

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

(एस. के. सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

पांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक २३६ दिनांक २१.३.१३ का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क्रं सं	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-बेतन एवं खर्चे				विस्तृत शीर्ष-02-	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष-04-	विस्तृत शीर्ष-07-	सारणि लाख रुपये में					
		बेतन	जी० यापन भत्ता	योग	पूर्व का बचाया		15.11.2000 के लेटेस्टों देखीय यात्रा व्यय	कार्यालय	किरणादरे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरवाश	दर्दी	विस्तृत व्यय					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अधिकारी मेदिनीनगर	पूर्व का आवंतन अद्यतन आवंतन	9.240 9.240	5.950 5.950	15.190 15.190	0.000 0.000	0.800 0.800	0.800 0.800	0.000 0.000	0.400 0.400	0.000 0.000	0.100 0.100	1.200 1.200	0.000 0.000	18.490 18.514			
2	औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	55.000 -5.650	32.710 0.000	87.710 -5.650	0.000 0.000	0.050 0.000	1.251 0.000	0.500 0.020	0.000 1.251	0.500 0.000	0.150 0.000	0.175 0.150	0.000 0.800	0.800 0.000	0.050 -0.050	90.686 -5.730	
3	करदवन बाध अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	63.000 0.000	37.000 0.000	100.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.721 0.000	0.500 0.000	0.000 0.000	0.170 0.170	0.350 0.350	0.100 0.100	0.700 0.000	102.541 102.641		
4	रुपाकण आयोजन एवं मोनि० अंचल , मेदिनीनगर	पूर्व का आवंतन अद्यतन आवंतन	52.000 -12.000	32.000 -8.000	84.000 -20.000	0.000 0.000	0.000 0.030	0.821 0.500	0.500 0.000	0.000 0.000	0.000 0.050	0.000 0.250	0.036 0.036	0.000 0.000	0.000 -19.634	86.021		
5	आयोजन एवं प्रमंडल,मेदिनीनगर	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	97.000 1.920	65.680 0.000	162.680 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.535 0.300	0.300 0.300	0.000 0.000	0.000 0.000	0.130 0.130	1.100 1.100	0.050 0.050	0.000 0.000	164.795 1.920		
6	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	93.000 -15.860	44.000 -7.900	137.000 -23.760	0.050 0.000	0.659 0.000	0.300 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.325 0.024	0.000 -0.180	0.000 0.000	0.700 -23.916	139.084			
7	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंतन अतिरिक्त आवंतन	77.140 0.000	36.100 0.000	113.240 0.050	0.050 0.050	0.659 0.300	0.000 0.000	0.000 0.000	0.325 0.325	0.024 0.024	0.520 0.520	0.000 0.000	115.168				
8	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंतन अद्यतन आवंतन	148.000 0.000	92.000 0.000	240.000 0.000	0.000 0.000	2.300 0.000	0.400 0.000	0.300 0.000	0.500 0.200	0.200 0.100	1.250 1.300	2.340 0.000	0.900 0.800	1.830 0.800	309.428 245.900		
9	झंकर्स पटा० झा० मार्टिनीनगर	पूर्व का आवंतन अद्यतन आवंतन	26.080 -2.750	18.200 0.000	44.280 -2.750	0.000 0.000	0.901 0.000	0.300 0.000	0.100 0.000	0.125 0.050	0.050 0.050	0.700 -0.050	0.100 0.000	0.100 -0.700	0.100 -3.574	46.856		
			23.330	18.200	41.530	0.000	0.877	0.300	0.050	0.125	0.000	0.000	0.100	43.282				

(मुख्य प्रसाद भारत)
सहायक अधिकारी

(जयप्रकाश भट्टचार्या)
उप सचिव (अधिक)

(मुख्य कमात्र सिवाय)
संयुक्त सचिव (अधिक)

(वी० सी० निर्गम)
विशेष सचिव

(एस० के० शताब्दी)
प्रधान सचिव

